



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22223

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 84/2026

साइका इकराम

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धर्म वीर जायसवाल, हर्ष विक्रम

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अरुण कुमार पांडे, मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष विक्रम, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील श्री राजेश कुमार तिवारी और प्रतिवादी- ग्राम सभा के विद्वान वकील श्री अरुण कुमार पांडे को सुना गया।
2. यह याचिका उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद स्थित प्रतिवादी संख्या 2 को द्वितीय अपील संख्या 1997/2023 (जिला मुरादाबाद), सिराजुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने हेतु परमादेश के लिए दायर की गई है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत दायर मुकदमे से संबंधित निजी प्रतिवादी द्वारा दायर द्वितीय अपील वर्ष 2023 से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित उपरोक्त द्वितीय अपील में प्रतिवादी है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की आदेश पत्र की प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 8 के रूप में संलग्न की गई है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की कार्यवाही में तेजी नहीं आ रही है।
4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त द्वितीय अपील संख्या 1997/2023 (जिला मुरादाबाद) सिराजुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य का निर्णय पक्षों को विधि के अनुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करे।
5. तदनुसार, रिट याचिका को अंतिमरूप से निस्तारित किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।